न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 146 / 2020

अनवान : –

1. रामदान पुत्र जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. जीतराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेश पुत्र जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजबाला पुत्री जीतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. धापा देवी पत्नी पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सन्तरो पुत्री पतराम पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी हजीरा तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
6. कमलेश पुत्री पतराम पत्नी सतपाल जाति नायक निवासी हजीरा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।
7. रामकुमार पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. गोपीराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजबाला पत्नी राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सोनु पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. मोनु पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. बसकरो पुत्री राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. अजय कुमार पुत्र राजाराम जाति नायक निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हुमानगढ़।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
15. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 18/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 151 / 147 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 633 / 12650 हिस्सा भूमि व खाता स0 59 / 59 की कुल 0.8840 हैक्ट भूमि में सायल के दादा पतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में सायल व गैरसायलान की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म जात हक हिस्सा है। सायल के दादा पतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस धापा देवी (पत्नी), रामकुमार (पुत्र), जीतराम (पुत्र) गोपीराम (पुत्र), सन्तरो (पुत्री) कमलेश (पुत्री) व राजाराम (पुत्र) हुए जिनमें से राजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस गैरसायल संख्या 7 ता 10 है। सायल के दादा पतराम के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में सायल के पिता गैरसायल संख्या 1 जीतराम का 1 / 7 हिस्सा है जिसमें सायल व गैरसायल संख्या 2 ता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है सायल जिसकी घोषणा न्यायालय से करा पाने के अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड में भूमि सायल के दादा पतराम के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायलान इसका नाजायज फायदा उठाते हुए अजनबी लोगो को रहन, बैय करना चाहते है और उपरोक्त समस्त भूमि फरोख्त करने की धमकी दे रहे है यदि ऐसा हो गया तो तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं है इसलिए सायल गैरसायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने की अधिकारी है कि वे विवादित भूमि को रहन, बैय अथवा मुन्तकील निषिद रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 633/12650 हिस्सा भूमि व खाता स0 59/59 की कुल 0.8840 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतराम के नाम दर्ज है एवं पूर्व में पतराम का देहान्त हो चुका है जो की प्रार्थी का दादा है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>- सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 633/12650 हिस्सा भूमि व खाता स0 59/59 की कुल 0.8840 हैक्ट भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 18/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested